

भूमि सुधार उप समारोह का न्यायालय पीढ़ाहाट, चक्रवर्तपुर।

टी.एन. वि. सं. सं. 70/2018-19

2

अवधि की तिथि	कार्य	अवधि के अंत में अवधि के अंत में अवधि के अंत में
18.09.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। ज्ञापन प्रेषित उपस्थापित करने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को सूचित करें। अगली तिथि 19.9.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 19.9.18 को उपस्थापित करें। <i>[Signature]</i> भूमि सुधार उपसमिति पीढ़ाहाट, चक्रवर्तपुर।	
19.09.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्र सं. 35 (35) दिनांक 07.09.2018 इस ज्ञापन प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रवर्तपुर ने प्रतिक्रिया किया है कि आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व. सोनाराम सामन्त, जाति-तन्दिया (अ.पि.वर्ग), ग्राम-मनीपुर, थाना मनोहरपुर, जिला-प. सिंहभूम ने छोटानागपुर शासकीय अधिनियम 1938 की धारा 4(1) के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन पीढ़ा-मनीपुर, धाना नं०-90, खाता नं० 1161, खाता नं० 1163 प्लॉट नं० 2313, प्लॉट नं० 2314 रकबा-0.02 ए. रकबा-0.02 ए. क्रेता गोविन्दा महतो पिता-स्व. मोहन महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-डोमलाई, पो- लाईलोर, थाना-मनोहरपुर, जिला- प. सिंहभूम के पास बिछी लगाने वाली है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतहार किया गया। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिछी की जानेवाली जमीन आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व. सोनाराम सामन्त, जाति-तन्दिया (अ.पि.वर्ग), ग्राम-मनीपुर, थाना मनोहरपुर, जिला-प. सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को ज्ञेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज्ञाकारी किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता, एवं क्रेता धाना-मनोहरपुर, जिला-प. सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता का जाति तन्दिया (अ.पि.वर्ग.) एवं क्रेता का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि विक्रित हेतु बेचना चाहते हैं। प्रस्तुत भूमि के बिछी के पत्रावत विक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकबा 8.34 ए. अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा सन्निहित जॉच प्रतिवेदन तथा आम इशतहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारणवश आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन ज्ञेता ज्ञेता गोविन्दा महतो पिता-स्व. मोहन महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-डोमलाई, पो- लाईलोर, थाना-मनोहरपुर, जिला- प. सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर शासकीय अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पत्राचार को उपस्थापित करावे। <i>[Signature]</i> भूमि सुधार उपसमिति पीढ़ाहाट, चक्रवर्तपुर।	